

कार्यालय निदेश, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक:- गितिरा/प्रारं/शिक्षा/बी/3703/2003/37 सम्प्रदाय दि 17/02/2003

तदिध,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
विभाग-2 सामुदायिक विभाग,
प्रोतो विहार, विनोद मार्ग,
नई दिल्ली।

विषय:- सम्प्रदाय हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
जारी करने के लिए।

श्रीमान,

उपरोक्त विभागान्तर्गत केन्द्र केन्द्रगत विद्यालय, पुलिस स्टेशन के पीछे,
नागौर जो क्षेत्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो वर्ष 2003-2004 के वर्ष आरम्भ बोर्ड
द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की सम्प्रदाय प्रधान की जाती है तो इस
विभाग को बोर्ड द्वारा तब तक नहीं होगी। सम्प्रदाय प्रधान होने जाने की एक प्रति
एक कार्यालय को भी भिजवायी जाये।

मार्ग
हो
निदेश
प्रारम्भिक शिक्षा, राज.,
बीकानेर

प्रतिलिपि:- विभागाध्यक्ष को सुसार्थ एवं आकरायक जानकारी हेतु प्रेषित है।

1. उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रार. शिक्षा, नागौर
3. तदिध, केन्द्र केन्द्रगत उ. प्रा. वि., पुलिस स्टेशन के पीछे, नागौर
4. रक्षित प्रतिलिपि।

अति. निदेश
प्रारम्भिक शिक्षा, राज.,
बीकानेर

:: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी § प्रारम्भिक - प्रथम § नागौर ::

=====

क्रमांक:-शिविना/प्राप्ति/प्रथम/सा-1/मान्यता/2000/222 दि:-18-11-2000

श्रीमान् निदेशक महोदय,

§ प्रारम्भिक - शिक्षा

राजस्थान-बीकानेर ।

विषय:-सेन्ट एन्सलम स्कूल , नागौरका स्थाई मान्यता हेतु पैनल
निरीक्षण रिपोर्ट ।

प्रसंग:-आपका पत्र क्रमांक:-शिविना/प्राप्ति/प्राथ/सी/3703/2000/37
दिनांक:-11.10.2000

===000===

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक सन्दर्भ में निवेदन है कि
आप द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सेन्ट एन्सलम स्कूल, नागौर का पैनल निरीक्षण
करवाकर लिया गया है । विधालय इसी त्रि §2000-2001§ से 2002-2003 तक
अंग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की अस्थायी मान्यता प्राप्त है । यदि
स्थायी मान्यता हेतु तीन वर्ष के नियम में शिक्षित प्रदान कर दिया जाता है ।
तो इस शर्त पर विधालय को नियमानुसार उच्च प्राथमिक स्तर §अंग्रेजी माध्यम§
की स्थायी मान्यता प्रदान करने की अभिशङ्गा की जाती है ।

संलग्न:- पैनल निरीक्षण की

पत्रावली §01§

जिला शिक्षा अधिकारी

§प्रारम्भिक -प्रथम §नागौर

क्रमांक:-शिविना/प्राप्ति/प्रथम/सा-1/मान्यता/2000/222 दि:-18-11-2000

प्रतिलिपि:- 01/ सचिव, सेन्ट एन्सलम स्कूल, नागौर को सूचनार्थ प्रेषित है ।

02. कार्यालय रहित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी

§प्रारम्भिक -प्रथम §नागौर